

फर्द अहकाम
(नियम 26)

2020/00209

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

श्री नेमीचन्द जैन पुत्र श्री रायचन्द

जति जैन

निवासी सिरौही रोड़

जिला सिरौही

विस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोजेन्ट

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही

मुकदमा नं. 11 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07/08/2020	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोजेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरौही को दिनांक 03.02.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि पंचायत निगरानी सं. 7/2008 में पारित निर्णय दिनांक 03.11.2008 के पश्चात सम्पत्ति सीज करने का कोई आदेश पारित किया गया हो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपी निगरानी प्रस्तुत करने की समयावधि एवं निगरानी के विरुद्ध प्रस्तुत अपील की समयावधि व पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत करने की समयावधि से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है ।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरौही को दिनांक 03.02.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि पंचायत निगरानी सं. 7/2008 में पारित निर्णय दिनांक 03.11.2008 के पश्चात सम्पत्ति सीज करने का कोई आदेश पारित किया गया हो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपी निगरानी प्रस्तुत करने की समयावधि एवं निगरानी के विरुद्ध प्रस्तुत अपील की समयावधि व पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत करने की समयावधि से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जाये। ए.डी.एम सिरौही द्वारा कार्यालय में उपलब्ध रेकॉर्ड के आधार पर पत्र सं. 914 दिनांक 07.02.2020 द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः अपीलांत की अपील अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।</p>	

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरौही

223-24
13/8/20